रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 492] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 2, 1974/अग्रहायण 11, 1896

No. 492] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 2, 1974/AGRAHAYANA 11, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December 1974

S.O. 687(E).—In pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following amendments in its notification No. 56/73-I [S.O. 180(E)], dated the 29th March, 1973 as published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3(ii), dated the 29th March, 1973 and as subsequently amended from time to time, namely:—

In Table 2—

(i) against the entry "Manipur" in column "Name of State" for the existing entries in columns "Name of the State Party" and "Reserved Symbols", the following entries shall be substituted:—

"1. Manipur People's Party Bicycle

2. Manipur Hills Union Lion";

(ii) against the entry "Orissa" in column "Name of State" (a) under the columns "Name of the State Party" and "Reserved Symbols", the entries "1. Jana Congress.....Scales" shall be deleted; (b) the figure "2" before the entry '(Utkal Congress" shall be deleted;

(iii) against the entry "Pondicherry" in column "Name of State" for the existing entries in columns "Name of the State Party" and "Reserved Symbols", the following entries shall be substituted:—

"1. Dravida Munnetra Kazhagam .. Rising Sun .

2. Anna Dravida Munnetra Kazhagam .. Two leaves".

In Table 3—

(i) against the entry "11. Manipur", the entry "(2) Lion" shall be deleted and the entries (3) to (8) shall be renumbered as (2) to (7) respectively;

(ii) against the entry "29. Pondicherry", the entry "(5) Two leaves," shall be deleted and the entries (6) to (8) shall be renumbered as (5) to (7) respectively.

[No. 56/73-VII]

By order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1974

का० आ० 687 (अ).—निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैराग्राफ 17 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3 (ii), तारीख 29 मार्च, 1973 के असाधारण अंक में प्रकाशित और तत्पश्चात् समय-समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना संख्या 56/73-I [का० आ० 180(अ)], तारीख 29 मार्च, 1973 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

सारणी 2 में :—

(i) "राज्य का नाम" स्तम्भ में "मणिपुर" प्रविष्टि के समक्ष "राज्यीय दल का नाम" और "आरक्षित प्रतीक" स्तम्भों में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायगी :—

"1. मणिपुर पीपुल्स पार्टी—साइकिल

2. मणिपुर हिल्स पार्टी ———शेर";

(ii) "राज्य का नाम" स्तम्भ में "उड़ीसा' प्रविष्टि के समक्ष

(क) "राज्यीय दल का नाम" और "आरक्षित प्रतीक" स्तम्भों में, "1. जन कांग्रेस—तराजू" प्रविष्टि हटा दी जाएंगी ; और

(ख) "उत्कल कांग्रेस" प्रविष्टि से पहले के अंक "2" को हटा दिया जाएगा ;

(iii) "राज्य का नाम" स्तम्भ में "पाण्डिचेरी" प्रविष्टि के समक्ष "राज्यीय दल का नाम" और "आरक्षित प्रतीक" स्तम्भों में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ;

"1. द्रविड़ मुन्नेत्र खड़गम ———उदीयमान सूर्य

2. अन्ना द्रविड़ मुनेत्र खड़गम ———दो पत्तियां";

सारणी 3 में:—

(i) "11—मणिपुर" प्रविष्टि के समक्ष, "(2) शेर" प्रविष्टि हटा दी जाएगी, और (3) से (8) तक की प्रविष्टियां क्रमशः (2) से (7) तक की प्रविष्टियों के रूप में पुनः संख्याकित कर दी जाएंगी ;

(ii) "29—पाण्डिचेरी" प्रविष्टि के समक्ष, "(5) दो पत्तियों" प्रविष्टि हटा दी जाएंगी और (6) से (8) तक की प्रविष्टियां क्रमशः (5) से (7) तक की प्रविष्टियों के रूप में पुनः संख्यांकित कर दी जाएंगी ।

[सं० 56/73—सात]

आदेश से,

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974